बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

Email

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संचिका सं०–8/आ0 (राज0उ0)–2–28/2016 718 /श्री बृजबिहारी सिंह, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नवादा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर कार्यो में व्यवधान उत्पन करना एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–4193 दिनांक 05.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–5718 दिनांक 11.11.2016 द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0नं0–1488/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2017 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया:–

" In so far as the present case is concerned. the resolution dated 05.09.2016 at Annexure P/6, whereby proceeding was initiated against the petitioner itelf confirms that the disciplinary authority has chosen to follow the exhaustive procedure of Rule 17 of 'the Rules' and thus once having exercised the discretion to follow the exhaustive procedure, the disciplinary authority cannot abandon the same midway to summarily dispose of the proceeding without following the statutory stipulation present in Rule 17. Clearly the order of penalty is dehors the procedure as according to the petitioner and not contested by the respondents, neither the copy of the enquiry report was supplied to the petitioner as mandated under Rule 18 of ' the Rules' nor the petitioner has been given liberty to represent against the enquiry report.

In the undisputed circumstances discussed, the order of penalty bearing Meno No. 5718 dated 11.11.2016 is confirmingly passed dehors the statutory procedure and thus cannot be upheld and is accordingly quashed and set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority, is so advised, to proceed in the matter afresh from the stage of service of copy of the enquity report as mandated

under Rule 18 of "the Rules" and take the matter to its logical conclusion in accordance with law.

3. उक्त न्यायदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–5718 दिनांक–11.11.2016 को अधिसूचना संख्या–15 दिनांक–03.01.2018 द्वारा निरस्त करते हुए नये सिरे से संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–71 दिनांक–05.01.2018 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव बयान की मॉग की गयी।

4. श्री सिंह द्वारा दिनांक–18.01.2018 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। बचाव बयान के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप सही है और उनके द्वारा द्वितीय बचाव बयान में जो तथ्य दिया गया है वह मानने योग्य नहीं है। उनके द्वारा डॉ0 शिवनरायण साह का चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगाया गया है, जिसमें Cervical Spondylosis से पीड़ित बताया गया है। चिकित्सीय प्रमाण पत्र में न तो कोई Treatment का उल्लेख किया गया है और न ही कोई अन्य प्रमाण है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि ये दो महीने तक वास्तव में बीमार रहे हैं और इनकी ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि ये अवकाश आवेदन को स्वीकृत कराते। अतएव द्वितीय कारण पृच्छा में प्राप्त बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुये श्री सिंह के **"तीन वेतन वृद्धियॉं असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड"** अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–9/आ0 (राज0उ0)–2–28/2018......................../ पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट, वित्त विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–9/आ0 (राज0उ0)–2–28/2018....718..................../ पटना, दिनांक–....28.02.18....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अधिक्षक उत्पाद पश्चिम चम्पारण/प्रशाखा पदाधिकारी राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–05/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री वृज बिहारी सिंह, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद नवादा सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

D:\Anand\Adesh\Adesh.docx